न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 12/23 निर्णय दिनांक 3-2-26
जीसीएमएस संख्या (2023/44)

1. मोहनराम पुत्र स्व. खेताराम जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एम.डी.एम. मोडायत पेशा खेतीकाश्त तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. हनुमानसिंह पुत्र गेनसिंह जाति राजपुत निवासी चक 1 एम.डी.एम. मोडायत तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. जेठाराम पुत्र नामालुम
3. भैराराम पुत्र स्व. खेताराम जाति बिश्नोई चक 1 एम.डी.एम. मोडायत पेशा खेती काश्त तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
4. भंवरसिंह पुत्र भाकरसिंह जाति राजपुत निवासी पंवारवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
5. रतनसिंह पुत्र भाकरसिंह जाति राजपुत निवासी पंवारवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 07—10—2022 व 14—10—2022
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितः—

1. श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 07–10–2022 व 14–10–2022 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18–02–2020 को जारी की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07–10–2022 को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की है। वादग्रस्त भूमि वाके चक 1 एम.डी.एम. के मुरब्बा नम्बर 201/26, 201/33, 201/34, की 50 बीघा भूमि जो पूर्व में चकबंदी से पूर्व खसरा नम्बर 66 थी जिसकी तादादी 81 बीघा 14 बिस्वा थी। उक्त भूमि अपीलांट के पिता के नाम संवत 2012 से पूर्व की बन्दोबस्ती कब्जा काश्त की भूमि थी। अपीलांट के पिता अनपढ होने के कारण कानूनी पेचिदगियो खातेदारी, इंतकाल आदि से अनभिज्ञ थे। जिस कारण उक्त वादग्रस्त भूमि रिकॉर्ड में बिना अपीलांट को कोई नोटिस दिये अराजीराज दर्ज कर दी गई। जबकि कानूनन भूमि बन्दोबस्ती होने के कारण अनओक्युपाईड लेण्ड थी जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटित किया गया है। उक्त आवंटन शुरू से ही नल एड वोइड होने के कारण खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि पूर्व से ही अपीलांट के पिता खेताराम पुत्र छोगाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज रही थी। सवत् 2018 में सर्वप्रथम जो गिरदावरी बनी उसमें अपीलांट के पिता का नाम दर्ज था जिसके कारण अपीलांट व उसके पिता ने आराजी मुतनाजा को सुधारने में अथक मेहनत व धन खर्च कर वादग्रस्त भूमि को काबित काश्त बनाया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को बिना जॉच किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटित कर दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को किया जा चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी,

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बज्जू दिनांक 07–10–2022 व 14–10–2022 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1993 पेज 511 पेश किये।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 7–10–2023 व 14–10–2023 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 13–01–2023 को हुई। अपीलांट द्वारा उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो बाद नकल तैयार दिनांक 20–01–2023 को प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा अपील बिना विलम्ब कारित किये प्रस्तुत की गई। अतः प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 ने अपनी बहस में कथन किये कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 वादग्रस्त भूमि रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की गर्ज से यह अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 66 की 81 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता व दादा के नाम दर्ज भूमि रही है। परन्तु अपीलांट द्वारा यह नही बताया गया कि उक्त भूमि अपीलांट के पिता व दादा को कैसे प्राप्त हुई । वादग्रस्त भूमि खतौनी बन्दोबस्त संवत 2024 में सिवाय चक भूमि रही है जो कभी अपीलांट के पिता, दादा की भूमि नही रही है। वादग्रस्त भूमि शुद्ध रूप से रकबाराज होने पर बतौर भूमिहीन श्रेणी में रेस्पोडेन्ट को आवंटित की गई थी। जिसका विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को किये गये आवंटन को कही चुनौती नही दी गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर मियादं बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा 1 माह मियाद बाहर अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान किया गया था। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम में जो विलम्ब के कारण अंकित किये है वो मनगढत एवं संतोषजनक कारण नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया है। ऐसे में अपीलांट्स की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील मियादं बाहर होने के कारण मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 13–01–2023 को प्राप्त हुई उसके पश्चात प्रतिलिपी प्राप्त कर जानकारी की प्रथम दिनांक से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन है किये कि अपीलांट्स को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व से ही रही है। मियांद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये है वो संतोषजनक नही होने के कारण अपीलांट्स की अपील मियादं के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–10–2022 व 14–10–2022 को पारित किया गया है एवं अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील दिनांक 23–01–2023 को प्रस्तुत की गई है। ऐसे में विधि का भी सिद्धान्त है कि जहां अपील प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब नहीं हो तथा एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया हो वहां पर पक्षकारों के मध्य गुणावगुण पर निर्णय किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दुरगुजर करते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुत्रय – प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू पर विचारण किया गया।

अपीलांट की अपील का मुख्य आधार यह है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में अपीलांट के पिता के नाम संवत 2012 से पूर्व की बन्दोबस्ती कब्जा काश्त भूमि थी। जिसे रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज कर बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई। अपीलांट द्वारा इस भूमि

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर निषेधाज्ञा चाही गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश हुई है।

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन आदेश को कही भी चुनौती नही दी गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रश्नगत भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 19–09–2017 को जारी की जा चुकी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इस भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 को किया जा चुका है। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 प्रश्नगत भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट की बजाय रेस्पोडेन्टान के पक्ष में बनता है। यदि एकबार यह मान भी लिया जाए कि खसरा नम्बर 66 की भूमि अपीलांट के पिता के नाम संवत 2012 से पूर्व की बन्दोबस्ती कब्जा काश्त की भूमि थी तो अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा– मिलान क्षेत्रफल पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो कि अपील में अभिकथित अपीलांट के पिता के नाम संवत 2012 से पूर्व बन्दोबस्ती कब्जा काश्त की भूमि और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि समान भूमि है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में नही बनता है। अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश को चुनौती दिये बिना जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रश्नगत भूमि में अनुतोष लेना चाहते है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अपीलांट के पक्ष में नही है। रेस्पोडेन्ट इस भूमि के खातेदार काश्तकार है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पोडेन्ट के खातेदारी अधिकारो का हनन होने से नुकसान भी रेस्पोडेन्ट को ही संभावित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नही की है। अतः अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का आदेश दिनांक 7–10–2022 व 14–10–2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 3.2.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर